UP MZ 01000282 2020

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट सं0–1, मुजफ्फरनगर।

जमानत प्रार्थना–पत्र सं0–92 / 2020

नितिन कुमार **बनाम** उ0प्र0राज्य

अ0सं0–89 / 2019
धारा–307 भा0दं0सं0
थाना–रामराज

14–01–2020

मु0अ0सं0–89 / 2019 धारा 307 भा0दं0सं0 थाना रामराज जिला मुजफ्फरनगर में संलिप्त प्रार्थी / अभियुक्त नितिन कुमार पुत्र यशपाल द्वारा जमानत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में जिला कारागार में है।

2. जमानत के प्रश्न पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा अभियोजन की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौ0) के तर्को को सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

3. अभियोजन कथानक के अनुसार दिनांक 18–7–2019 को पुलिस दल जिसका नेतृत्व उप निरीक्षक नीरज सिहं कर रहे थे, को गस्त के दौरान मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि कस्बा रामराज की तरफ से मो0सा0 पर दो लडके आ रहे हैं उनके पास नाजायज असलहे है तथा जिस मो0सा0 पर आ रहे हैं वह भी लूट की है। कुछ समय बाद रामराज की तरफ से एक मो0सा0 आती दिखायी दी नजदीक आने पर टार्च की रोशनी से रूकने का इशारा किया तो पुलिस कर्मियोको मो0सा0 की लाईट की रोशनी में देख मो0सा0 पर पीछे बैठे व्यक्ति ने अपने हाथ में लिये तमंचे से जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया जिससे बाल बाल बचे। इसी बीच दोनो बदमाश मो0सा0 पर रामराज की तरफ भागे जिनका पीछा करते हुए शिव मन्दिर के पास पहुचे तो सामने सेथाना से रवाना कां0 आनन्द व बिट्टू मो0सा0 का सायरन बजाते हुए आ गये। दोनो ओर से घिरता देख मो0सा0 गिरा कर भागने का प्रयास किया जिन्हें भागने का मौका दिये बिना समय करीब 20.25 बजे पकड लिया। पकडे जाने पर नाम पता पूछते हुए जामातलाशी ली तो अपना नाम नितिन कुमार व पंकज बताये। बदमाशो से अवैध असलाह बरामद हुआ।

4. प्रार्थी / अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि वह निर्दोष है। उसने कोई अपराध नहीं किया। उसे रंजिश के आधार पर झूठा फंसाया गया है। उससे कोई बरामदगी नहीं है। दर्शायी गयी बरामदगी झूठी है। प्रथम सूचना रिपोर्ट देरी से है, जिसका स्पष्टीकरण नहीं है। सह अभियुक्त पंकज की जमानत न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है। किसी पुलिस वाले को कोई चोट नही है। कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं दर्शाया गया है। वह पूर्व दोषसिद्व नहीं है। इस प्रकार जमानत पर छोडे जाने की याचना की गयी।

5. सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौ0 द्वारा जमानत का विरोध किया गया, किन्तु यह स्वीकार किया गया कि सह अभियुक्त पंकज की जमानत न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है।

6. सुना व सम्यक अभिलेख का परिशीलन किया गया।

प्रपत्रों के परिशीलन से विदित है कि प्रकरण पुलिस मुठभेड से सम्बन्धित है। घटना व बरामदगी का कोई स्वतंत्र जनसाक्षी नहीं दर्शाया गया है। किसी पुलिस कर्मी को कोई चरोट आने का उल्लेख नहीं है।आवेदक/अभियुक्त के आपराधिक इतिहास में तीन अन्य अभियोग प्रस्तुत अभियोग के साथ पंजीकृत होना दर्शाये है। अभियुक्त दिनांक 19–7–2019 से कारागार में निरूद्व है। सह अभियुक्त पंकज की जमानत न्यायालय द्वारा स्वीकार की जा चुकी है।अतः मामले के तथ्यों परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए बिना गुण अवगुण पर टिप्पणी किये समानता के आधार पर जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

आवेदक/अभियुक्त नितिन कुमार का जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्त द्वारा अंकन पचास हजार रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व समान धनराशि के दो प्रतिभू सबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अधीन दाखिल करने पर, जमानत पर रिहा किया जाये।

(वीर नायक सिंह)**(J.O- 5624)**
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं0–1,मुजफ्फरनगर।

दिनांकः–14–01–2020